

प्रेषक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।
सेवा में

प्रबन्धक,
लायन्स स्कूल
लालडिगंगी वेस्ट रोड मीरजापुर।

पत्रांक/मान्यता/ २१४८-५२

/2020-2021

दिनांक: २६-०८-२०२०

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की घारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-11 के उप नियम (4) के अधीन महोदय/महोदय।

आपके हारा प्रस्तुत आवेदन पर और इस साथका मे विद्यालय के साथ परचालाती दिनांक 11 जनवरी 2019 ने निर्दिष्ट निर्देशानुसार गठित मान्यता समिति को बैठक दिनांक 21.08.2020 के कार्यक्रम मीरजापुर को एक वर्ष की अधिक के लिए कक्षा 1 से 5 तक भीप्रवधिक मान्यता (अंकेजी माल्यम) प्रदान किया जाना सम्प्रीति करता है।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप मे वक्षा-5 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाधता विविधत नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपवध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपवध 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय वक्षा-1 मे (या यथास्थिति, नसरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पहास के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- घरा-3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की घारा-12 की उप घारा (2) के उपर्योग के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक दृष्टक दैक द्वाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्थीरिंग प्रक्रिया के अध्यवैन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का समूल न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की घारा-15 के उपर्योग का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे कल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यवैन नहीं किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अप्सा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपवध के अनुसार निःशक्ताता परत/प्रिश्नप आवस्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताओं नहीं हैं, पांच वर्ष वी अप्सि के भीतर एसी न्यूनतम अहंताये अंजित करेग।
 - अध्यापक अधिनियम की घारा-24(1) के अधीन विनिर्विट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों मे नियोजित नहीं करेग।
 - 7- विद्यालय समूलित प्राधिकारी हारा अधिकारित पाठ्यचर्चों के अधार पर पाठ्यक्रम को पालन करेगा।
 - 8- विद्यालय अधिनियम की घारा-19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्देशों को बनाये रखेगा। अनितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निर्मानानुसार है-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- कुल निर्गत क्षेत्र
- बीजास्थल का क्षेत्रफल
- कक्षाओं की संख्या

- 62606 वर्ग फीट
- 23784 वर्ग फीट
- 38842 वर्ग फीट

12

Vishwanath

Chief Executive
Lions School
Mirzapur

- प्राच्यापक—सह कार्यालय—सह भाषागार के लिये कदा — ही
- बालक और वालिकाओं के लिये पृथक शौचालय — ही
- पेयजल सुविधा — उपलब्ध है।
- मिठ—डे—मोल पकाने के लिये रखोइ — उपलब्ध है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपलकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता— है
- 9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त करायी नहीं चलायी जायेगी।
- 10— विद्यालय गदर्नों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा रथल का प्रयोग कंवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीफरण अधिनियम—1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा घलाया जा रहा है।
- 12— सहूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं बल्कि जा रहा है।
- 13— विद्यालय के लेखाओं को किसी गार्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिये तथा उपर्युक्त लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के बेळी जानी चाहिये।
- 14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या E/PS/03/2020 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याका का उल्लेख करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और रूपनाप्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुगालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कनियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, गदि कोई हो, को तुमनिश्चित किया जाय।
- 17— मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- 18— जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संख्या द्वारा अध्याय कक्ष अवधाय कोई अनुमान (सेवन) न खोला जायेगा और न ही थन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शाखा चलाने वी अनुमति नहीं होगी।
- 19— विद्यालय स्वयंवित्त पायित होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृत हेतु आपका कोई दाया मान्य नहीं होगा।
- 20— विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटियाँ, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल द्वारा से निर्गत मान्यता रवत निरस्ता रमझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण रिधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

मदरीय

१५.८.२०२१
 (पीरेन्द्र कुमार सिंह)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 मीरजापुर।

पृष्ठों/मान्यता/ / 2020-2021 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव उद्योग वैसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज
- 2— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 3— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र मीरजापुर।
- 4— गाड़ पत्राचारी।

(पीरेन्द्र कुमार सिंह)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 मीरजापुर।

N - J
PRINCIPAL
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR
 (Affiliated to C.B.S.E.)

Vishwanath Upadhyay
Chief Executive
Lions School
 Mirzapur

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।
सेवा मे.

प्रबन्धक,

लायन्स स्कूल
लालडिग्गी रोड मीरजापुर।

पत्रांक/मान्यता/ 6933-36

/ 2020-2021

दिनांक : 21-12-2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये
निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमानुसारी 2011 के नियम-15 के उप नियम (4) के
अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके हारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ प्रश्नात्मकी
पत्रांपार/निरीक्षण के सदर्भ में शास्त्रादेश सं0-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 वैसिक शिक्षा अनुमान-3
दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित नियमानुसार गठित मण्डलीय मान्यता गणिती की बैठक दिनांक 10.12.
2020 के निर्णयानुसार लायन्स स्कूल लालडिग्गी रोड नगरपालिका मीरजापुर को एक वर्ष की अधिकी के लिए
कक्षा 6 से 8 तक औपचारित नायता (अंतर्जी नायता) प्रदान किया जाना सम्भवित करता है।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित जारी के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन
करने के लिये कोई वायता दियकी नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथारिक्ति, नसरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक
आस-पड़ोस के बमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें
निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय का अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के
अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक दैक खाता
रखेगा।
- 5- सांसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके
माता-पिता या सरकार को किसी स्कॉलरशिप प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आय का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा
और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा

प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में
फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की
जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार
एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया
जाना।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की
जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम्
अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अंजित करेगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन शिक्षाकालांक में नियोजित नहीं करेगे।

- 7- विद्यालय समृद्धित प्राचिकारी हारा अधिकारित पाठ्यचक्रों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है-

- विद्यालय परिसर यन क्षेत्रपाल
- कुल निर्मित सेत्र
- 5787 004552 वर्गीटर
- 2207 67 वर्गीटर

N -
PRINCIPAL
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR
(Affiliated to C.B.S.E.)

VII/1/Wan-2020
Chief Executive
Lions School
Mirzapur

- कीड़ारथल का स्क्रिप्टफल
- कक्षाओं की संख्या
- प्राच्यामक—सह कार्यालय—राह मण्डागार के लिये कक्षा — संतान है।
- बालक और वालिकाओं के लिये पृथक शौचालय — 10 ही
- पेयजल सुविधा
- मिल-डे—मील पवाने के लिये रसोई — ही
- दाढ़ा रहित पहुंच — उपलब्ध है।
- अध्यापन पठन रामायामी/क्रीड़ा खेलकूद उपरकरो/पुस्तकालय की उपलब्धता— ही
- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम—1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सौराष्ट्री द्वारा तत्त्वमय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के रामूँ हा संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउंट द्वारा सापरीका की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित विद्या जाना चाहिये तथा उपित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड E/UP5/05/20 संख्याक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सचिव/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रमाण से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
- मान्यता आवंटित कोड

मन्दीर
(गौतम प्रसाद)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 मीरजापुर।

पृष्ठों/मान्यता/

/2019-2020

उसी तिथि को।

- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
- 1— सचिव उ०प्र० वैसिक शिक्षा परिषद, ग्रामगाराज
 - 2— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
 - 3— रामचन्द्र खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र मीरजापुर।
 - 4— गांडे पत्रावली।

(गौतम प्रसाद)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 मीरजापुर।

N

PRINCIPAL
 LIONS SCHOOL, MIRZAPUR
 (Affiliated to C.B.S.E.)

Vishwanath
Chief Executive
Lions School
Mirzapur